राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः–प.2 (1) टोहास/97/पार्ट–।।/2019/27672 जयपुर, दिनांकः– 08/11/2019

कार्यालय आदेश 18/2019

परिवहन विभाग के पूर्व में जारी आदेश संख्या 14/2019 के द्वारा दिनांक 01.08.2019 से ड्राईविंग लाईसेंस एवं पंजीयन प्रमाण–पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनिवार्य रूप से भेजे जाने के आदेश जारी किये गये थे।

उक्त प्रक्रिया में यह पाया गया कि परिवहन यान (यथा ट्रक/मिनी ट्रक, बस/मिनी बस, मैक्सी कैब/टैक्सी कैब, ऑटोरिक्शा) के परमिट के लिये आवेदन करने हेतु पंजीयन प्रमाण–पत्र वाहन स्वामी को समय पर नहीं मिल पाने के कारण आवेदन करने में विलम्ब होता है।

वाहन स्वामी द्वारा परमिट आवेदन शीघ्र करने की दृष्टि से पूर्व में जारी आदेश संख्या 14/2019 दिनांक 03.07.2019 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि परिवहन यान (यथा ट्रक/मिनी ट्रक, बस/मिनी बस, मैक्सी कैब/टैक्सी कैब, ऑटोरिक्शा) के वाहन स्वामी पंजीयन प्रमाण–पत्र कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकता है। इस हेतु वाहन स्वामी को आवेदन के समय इच्छा जाहिर करनी होगी तथा स्वयं का पहचान पत्र कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा पंजीयन प्रमाण–पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भिजवाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगें।

(राजेश यादव)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

Scanned by CamScanner

क्रमांकः–प.2 (1) टोहास / 97 / पार्ट–।। / 2019/27673-681 जयपुर, दिनांकः– 08/11/2019

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव।
5. सहायक पोस्ट मास्टर जनरल (BD& Mails) डाक विभाग, जयपुर।
6. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
7. समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
8. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को प्रेषित कर लेख है कि वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव (टोहास)

Scanned by CamScanner